**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3120

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**पूर्व स्नातक स्तर पर सरकारी संस्थाओं की क्षमता**

**3120. श्री विवेक गुप्ताः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या पूर्व स्नातक कार्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की संख्या बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि नियमित व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन के कीमती वर्ष को गंवाए बिना विश्वविद्यालय में स्थान दिया जाए; और

(ग) 2014 से उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी-कितनी है, जिन्होंने स्नातक हेतु नियमित महाविद्यालय में आवेदन किया तथा प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) और (ख): अवर स्नातक कार्यक्रम के लिए सीटों की संख्या संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के परामर्श से संबंधित स्कूलों द्वारा निश्चित की जाती है| तथापि, सरकार ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन जारी रखने हेतु छात्रों के प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से, कई कदम उठाए हैं जैसे नई संस्थाएं खोलना, छात्रवृत्ति का प्रावधान करना और शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायिकी की व्यवस्था करना। देश में उच्चतर शिक्षा के उत्थान में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) एप्लीकेशन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है|

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-13) के दौरान, उच्चतर शिक्षा प्रणाली में समानता, पहुँच और उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है| योजना, घटक जैसे कि स्वायत्त कॉलेजों का विश्वविद्यालयों में उन्नयन, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कॉलेजों को क्लस्टर करना, असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही साथ विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान निधि प्रदान करना और कॉलेजों की क्षमता बढ़ाने में सहायता करती है|

वर्ष 2015-16 के लिए उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 18-23 वर्ष की आयु समूह में वर्ष 2011-12 में 20.8% की तुलना में 24.5% की बढ़ोत्तरी हुई है|

(ग) छात्रों द्वारा नियमित कॉलेजों में प्रवेश हेतु किए गए आवेदनों और ऐसे कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों का डेटा केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षित नहीं होता है।

\*\*\*\*\*\*